हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

संख्या 108/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,

(i) सारणी में,–

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (2) में, मद (छ) में,–

i. अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा

ii. मद (छ) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात, ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा, गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में, सड़क द्वारा,–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अधीन कर में कटौती किए जाने के प्रयोजन के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाया हो और न कि माल या सेवाओं का कराधेय प्रदाय करने के लिए, उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी।'';

(ख) क्रम संख्या 11 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

''12.	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ)	कराधेय क्षेत्र में अवस्थित बैंकिंग कंपनी
13.	बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) का एजेंट	कराधेय क्षेत्र में अवस्थित कोई बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी)
14.	किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके उपलब्ध करवाये जाने वाली सुरक्षा सेवाएं; परंतु इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात उन पर लागू नहीं होगी जो कि,— (i)(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने केवल धारा 51 के अधीन कर में कटौती किए जाने के प्रयोजन के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाया हो और न कि माल या सेवाओं का कराधेय प्रदाय करने के लिए; (ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति।	कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न हो	कराधेय क्षेत्र में अवस्थित, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

(ii) व्याख्या में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) इस अधिसूचना के उपबन्ध, जहां तक ये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल को भी लागू होंगे ।.".

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 31st December, 2018

No.108/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(i) in the Table,-

(a) against serial number 1,in the entry in column (2), after item (g),-

i. for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

ii. the following proviso shall be added, namely: -

"Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage by road, to, -

(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies,

which has taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.";

(b) after serial number 11 and the entries thereagainst , the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	Services provided by business facilitator (BF) to a banking company	Business facilitator (BF)	A banking company, located in the taxable territory
13.	Services provided by an agent of business correspondent (BC) to business correspondent (BC)	An agent of business correspondent (BC)	A business correspondent, located in the taxable territory
14.	Security services (services provided by way of supply of security personnel) provided	Any person other than a body corporate	A registered person, located in the taxable territory.";

	to a registered person: Provided that nothing contained in this entry shall apply to, - (i)(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies; which has taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said Act and not for making a taxable supply of goods or services; or (ii) a registered person paying tax under section 10 of the said Act.		

(ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be added, namely:-
"(h) provisions of this notification, in so far as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department